

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 जून 2014—आषाढ़ 3, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2014

अधि. क्र. 14-एफ-4-60-2014-अठारह-1.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 10 में, उप नियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(9) (क) अनुसूची तीन के कॉलम (3) के अनुसार उपयंत्री/ड्राफ्ट्समैन के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए फीडर केडर में पद की उपलब्धता न होने की दशा में तथा नियुक्ति प्राधिकारी की राय में आगामी तीन वर्षों में पदोन्नति द्वारा ऐसे पदों को भरने की कोई संभावना न हो, तो निगम, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखने वाले नियमित कर्मचारियों से सीमित विभागीय परीक्षा/चयन द्वारा, ऐसे पदों को भर सकेगा.

(ख) सीमित विभागीय परीक्षा/चयन हेतु आयु सीमा बाध्यकर नहीं होगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2014

क्र. 14-एफ-4-60-2014-अठारह-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. 14-एफ-4-60-2014-अठारह-1, दिनांक 24 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. काटिया, उपसचिव.

Bhopal the 24th June 2014

Not. No. 14-F-4-60-2014-XVIII-1.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with sub-section (1) of Section 58 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Municipal Corporations (Appointment and Conditions of Service of Officers and Servants) Rules, 2000, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 10 after sub-rule (8), the following new sub-rule shall be added, namely:—

- “(9) (a) In case of non-availability of posts in the feeder cadre for promotion to the vacant posts of Sub-Engineer/Draftsman as per column (3) of Schedule-III and that in the opinion of the appointing authority there is no possibility of filling of such posts by promotion in next three years, the Corporation may, with the prior permission of State Government fill such posts by limited departmental selection/examination from amongst its regular employees possessing the prescribed minimum educational qualification;
- (b) The age limit shall not be binding for limited departmental selection/examination.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Dy. Secy.